



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

13AA 955053

प्रस्तुप-26 "

१४- दामोदर (नियम ४ के देखिए) (निवाचन भेत्र का नाम) निवाचन क्षेत्र से १४-१६ (सदन का नाम) के लिए निवाचन के लिए रिटनिंग ऑफिसर के समक्ष अध्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र।

मे. .... दामोदर युवराज पुत्र / मुत्री / प्रस्तुती ..... वर्ष, जो ..... का / की निवासी हूँ और उपरोक्त निवाचन में अध्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ / करती हूँ / शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ / करती हूँ:-

1. कि मे ऐसे किसी लम्बित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी):

मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं.....

पुलिस थाना (थाने) ..... जिला (जिले) ..... N.L.

राज्य.....


सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धाराएं (धाराएं) और उस अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अध्यर्थी आरोपित किया गया है.....

न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई.....

तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था / किए गए थे.....

क्षया सभी या कोई कार्यदाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है

है.....



N.L.

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व आधिनियम-1951) (1951 का 43) का धारा-४ की उप धारा (1)या उप धारा (2) में निर्दिष्ट या उप धारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है / नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है / नहीं किया गया है ।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नालिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :

- (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएँ.....
- (ii) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है.....
- (iii) पुलिस थाना (थाने)..... जिला (जिले).....
- राज्य.....
- (iv) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिसके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है .....
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको दण्डादेश सुनाया गया था / सुनाए गए थे.....
- (vi) क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है / रोके गए हैं.....

स्थान : ११.७८

तारीख : १०-१-१२

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

#### सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता / करती हूँ कि इस शपथ पत्र की अन्तर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपाई नहीं गई है ।

स्थान पर आज तारीख..... १०-१-१२ को सत्यापित किया ।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिक्कमी: इस प्राप्तके बे सत्यम्, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं है, काट दिए जाय ।

Solemnly affirmed before me  
S/o Shri. J. C. Kulkarni, M.O. J. S. U. C.  
Date: 10-1-12  
Om Prakash Bhatt  
Advocate & Notary Public  
Dist. HQK / Tel: 107112

